पत्र सं0– वि॰ प्रा॰ (IV) यो॰–04/2021–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक –

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित एवं संचालित बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के परिसर में स्टूडियो अपार्टमेंट (20 यूनिट) के निर्माण हेतु कुल रू॰ 703.80 लाख (सात करोड़ तीन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–154 (भ) अनु॰, दिनांक–03.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–28.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के परिसर में स्टूडियो अपार्टमेंट (20 यूनिट) के निर्माण हेतु कुल रू॰ 703.80 लाख (सात करोड़ तीन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का वहन, वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग सं॰–03 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के मुख्य शीर्ष –4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघु शीर्ष –051– निर्माण, उप शीर्ष –0117– इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के अधीन **53 01– मुख्य निर्माण कार्य** विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका **विपत्र कोड 03–4059800510117** है।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्ययादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग होंगे।

5. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, पटना समाहरणालय से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार वित्त नियमावली, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 एवं वित्त विभाग के विभिन्न पत्रों एवं निदेशों के आलोक में की जाएगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–वि॰ प्रा॰ (IV) यो॰–04/2021 के पृ॰– 141/टि॰ पर है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अपर महमुद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–04/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–04/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–04/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव/अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–04/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰ प्रा॰ (IV) यो०–04/2021– 734 **/पटना, दिनांक–** 13.02.25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव